सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक –21.07.2024

कोतवाली जालौन पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।

दिनांक 17.07.2024 को वादी ने थाना जालौन में तहरीरी सूचना दी कि अभियुक्तगण 1. धीरज पुत्र सुखराम बेलदार 2. रवि पुत्र सुरेश बाल्मीक 3. मानसिंह पुत्र मुनीम बाल्मिकी नि0गण सिकरीराजा थाना जालौन 4. रामवरन उर्फ मामू पुत्र बाबूलाल नि0 ग्राम मंगरौल कला थाना कुलपहाड जनपद महोबा द्वारा वादी के पुत्र भरत उर्फ विशाल उम्र करीब 25 वर्ष को अपने साथ बात करने के बहाने से लेकर जाना तथा मारकर कुएं में डाल देना। जिसके संबन्ध में थाना जालौन में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 219/2024 धारा 103(1)/238 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियोग में वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना जालौन पुलिस टीम को लगाया गया था, जिसके फलस्वरूप थाना जालौन पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1. धीरज पुत्र सुखराम बेलदार को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

उक्त अभियोग से संबन्धित 02 अभियुक्त रवि पुत्र सुरेश बाल्मीकि निवासी ग्राम सिकरीराजा एवं रामवरन उर्फ मामू पुत्र बाबूलाल नि0 ग्राम मंगरौल कला थाना कुलपहाड जनपद महोबा को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. . धीरज पुत्र सुखराम बेलदार निवासी ग्राम सिकरीराज थाना जालौन जनपद जालौन

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जालौन मय पुलिस टीम।